प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –977/2022

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर ।
2. रणवीर पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री माडुराम अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 12.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा, रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट भूमि मे से 1/24 हिस्सा व खाता स0 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा तथा खाता स0 141/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी स0 1 के पिता रामेश्वर पुत्र जालू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] किया [illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 वादी के वाद को [illegible] दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक [illegible] किया जाता है तो मुझ [illegible] वादी को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 परोकार राज द्वारा जवाब पेश जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने पुरानी व नयी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजीनामा भी पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 126／120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281／5060 हिस्सा, रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 78／73 की कुल 24.0350 हैक्ट भूमि मे से 1／24 हिस्सा व खाता स0 100／96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211／3795 हिस्सा तथा खाता स0 141／145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1／6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मलवारी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्रएवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 126／120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281／5060 हिस्सा, रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 78／73 की कुल 24.0350 हैक्ट भूमि मे से 1／24 हिस्सा व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता स0 100／96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211／3795 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 केएनएन के खाता स0 151／145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1／6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible]वादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खाते[illegible] जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के [illegible]लग्न 500／– रू का स्टाम्प तकमीलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –977 / 2022

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर ।
2. रणवीर पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 977 सन 2022 दिनांक 12.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा, रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट भूमि मे से 1/24 हिस्सा व रोही मौजा 11 केएनएन के खाता स0 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 केएनएन के खाता स0 151/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:16 IST
Reason: SelfAttested